

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1697]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 2015/श्रावण 21, 1937

No. 1697]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 2015/SHRAVANA 21, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2015

का.आ. 2193(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा 15 जुलाई, 2015 को का.आ. 1919(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 06/02/2015 – बीओ II के हिंदी पाठ के पृष्ठ सं. 2 में “डॉ. अशोक सक्सेना” के स्थान पर “डॉ. शशांक सक्सेना” पढ़ा जाये।

[फा. सं. 06/02/2015-बी.ओ. II]

डॉ. शशांक सक्सेना, आर्थिक सलाहकार (एसएस)